न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 118/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 53 आरटीए

कालू खान पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. गुलाम जोरा पत्नी नबीबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. नूरहसन पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. अरसा पत्नी अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. नूरअहमद पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. हुसैन खां पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. फतेहबीबी पुत्री अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. सईया पुत्री अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. सोहन सिंह पुत्र श्री जंग सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री महावीर बेरड़ अधिवक्ता – वादी
2. श्री कुलदीप मूण्ड अधिवक्ता – प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के साझां खाता सं. 6/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में वादी के नाम से 1.716 है. प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1.715 है., प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 1.715 है., प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 0.687 है., प्रतिवादी सं. 4 ता 7 के नाम से 2.744 है. तथा प्रतिवादी सं. 8 के नाम से 0.025 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की चित्रप्रति सलंग्न वाद पत्र है। तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के साझां खाता सं. 6/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में वादी के नाम से 1.716 है. प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1.715 है., प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 1.715 है., प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 0.687 है., प्रतिवादी सं. 4 ता 7 के नाम से 2.744 है. तथा प्रतिवादी सं. 8 के नाम से 0.025 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त खाता की समस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है। जिसका वादी ने कब्जाकाश्त के रोज से ही प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के साथ अच्छी मन्दी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी काश्त करता चला आ रहा है। वादी का कब्जाकाश्त बाबत् प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के साथ कोई विवाद नही है तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :–

(क) वादी कालू खान पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 6/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
140/195	54	1,10,11,20,21/0.253 है.प्र.
139/195	55	24/0.198 है., 25/0.253 है.कुल 1.716 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 गुलाम जोरा पत्नी नबीबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 6/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
140/195	54	3,7,8,13,18,23/0.253 है.प्र., 14/0.197 है.कुल 1.715 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 नूरहसन पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 6/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
140/194	45	11,12,19,20,22/0.253 है.प्र.
139/195	55	5/0.253 है., 6/0.197 है.कुल 1.715 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 4 ता 8 क्रमशः अरसा पत्नी अल्लाबक्श(0.686 है.), नूरअहमद पुत्र श्री अलाबक्श(0.687 है.), फतेह बीबी पुत्री अलाबक्श(0.686 है.), सईया पुत्री अलाबाक्श(0.686 है.), हुसैन खां पुत्र अलाबक्श(0.686 है.) समस्त जाति मुसलमान एवं सोहन सिंह पुत्र श्री जंग सिंह (0.025 है.) जाति कुम्हार निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 6/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/195	55	7/0.253 है., 15,16,17/0.253 है.प्र., 6/0.056 है.,24/0.055 है.
140/194	45	21,23/0.253 है.प्र.
140/195	54	2,4,7,9,12,10,19,22/0.253 है.प्र., 14/0.056 है. कुल 3.456 है.

वादी खातेदार होने के रोज से ही वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार कृषि भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है उक्त कृषि भूमि की कब्जाकाश्त बाबत् कोई विवाद नही है परन्तु वाटरमेन्ट शुल्क, माली रकम आदि राज्य सरकार को अदा करने में अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा सीवबट को लेकर भी आपस में लड़ाई झगड़े का अंदेशा रहता हैं। इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी का खाता अलग कायम करवाकर देने का प्रतिवादीगण से निवेदन किया, तो पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे लेकिन गत् सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के नाम से कृषि भूमि दर्ज होने के कारण एवं प्रतिवादी सं. 9 को भू–धारक होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद वादी खाता विभाजन का है जो उचित न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

महा... ...क्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी का खाता अलग से कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वादपत्र डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी वादी कालू खान ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। प्रकरण में सहमति हो जाने के कारण वादी/प्रतिवादी ओर साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने का निवेदन करने पर साक्ष्य वादी/प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादी एंव प्रतिवादी सह–काश्तकार है वादग्रस्त कृषि भूमि का हमने अच्छी मन्दी अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और सहमति के जवाब दावा भी पेश हो चुके है एवं वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकिल प्रतिवादीगण ने भी वाद पत्र को मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 चक 6 डीएलपी के अवलोकन से यह साबित है कि वादी एवं प्रतिवादी प्रश्नगत आराजी में सह–खातेदार काश्तकार है। प्रश्नगत आराजी पर वादी एव प्रतिवादीगण अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है वर्तमान में भी कब्जाकाश्त है। वादी खाता विभाजन का अधिकारी है। साथ ही प्रकरण में वादी एव प्रतिवादी के मध्य वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु सहमति का जवाब दावा भी पेश हो चुके है इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का पत्र पत्र डिग्री किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक 6 डीएलपी खाता सं. 6/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में वादी एव प्रतिवादी का खाता निम्नानुसार अलग–अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

1. वादी कालू खान पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 6/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
140/195	54	1,10,11,20,21/0.253 है.प्र.
139/195	55	24/0.198 है., 25/0.253 है.कुल 1.716 है. कृषि भूमि

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

2. प्रतिवादी सं. 1 गुलाम जोरा पत्नी नबीबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 6/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
140/195	54	3,7,8,13,18,23/0.253 है.प्र., 14/0.197 है.कुल 1.715 है. कृषि भूमि

3. प्रतिवादी सं. 2 नूरहसन पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 6/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
140/194	45	11,12,19,20,22/0.253 है.प्र.
139/195	55	5/0.253 है., 6/0.197 है.कुल 1.715 है. कृषि भूमि

4. प्रतिवादी सं. 4 ता 8 क्रमशः अरसा पत्नी अल्लाबक्श(0,686 है.),नूरअहमद पुत्र श्री अलाबक्श(0.687 है.), फतेह बीबी पुत्री अलाबक्श(0.686 है.),सईया पुत्री अलाबाक्श(0.686 है.), हुसैन खां पुत्र अलाबक्श(0.686 है.) समस्त जाति मुसलमान एवं सोहन सिंह पुत्र श्री जंग सिंह (0.025 है.) जाति कुम्हार निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :– चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 6/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/195	55	7/0.253 है., 15,16,17/0.253 है.प्र., 6/0.056 है.,24/0.055 है.
140/194	45	21,23/0.253 है.प्र.
140/195	54	2,4,7,9,12,10,19,22/0.253 है.प्र., 14/0.056 है. कुल 3.456 है.

अतः उक्तानुसार अनुसार पर्चा डिक्री अलग से जारी हो :–

निर्णय आज दिनांक 13/4/2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया